न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 21 / 2019

निर्णय दिनांक 19.05.2022

अनवान

1. कल्याणसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी केरिंगखेडा तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

....प्रार्थी

।।बनाम।।

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित– श्री प्रवीण जोशी वकिल प्रार्थी

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तत्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से भु राजस्व अधिनियम 1956 धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व ग्राम बालनाथ खेडा पटवार हल्का नन्नाणा की साबिक खाता संख्या 5 में दर्ज आराजी नम्बर 3/3 रकबा 1बीघा नवीन खाता संख्या 8 पर दर्ज आराजी नम्र 14 रकबा 0.22 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

यह कि प्रार्थी के पुराने आरजी नम्बर 3/3 रकबा 1 बीघा के नवीन आराजी नम्बर 14 रकबा 0.22 हैक्टर भूमि के नक्शे में परिर्वतन कर दिया है। लेकिन सेटेलमेंट होने से भूप्रबंध अधिकारीयों ने नये राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का हक हिस्सा कम अंकित कर दिया है। जब कि प्रार्थीगण साबिक रेकार्ड के अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

भूप्रबंधक अधिकारियों को प्रार्थी की आरजियात को राजस्व रेकार्ड में रकबा की कमी करने का कोई कानुनी अधिकार नहीं था। इसलिए राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण अपने हक हिस्से को पुनः साबिक रेकार्ड के अनुसार दर्ज करा राजस्व रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र इन्द्रादुरस्ती का पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया है। पेरोकार सरकार उपस्थित।

लायक अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई जिन्होने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार भदेसर से प्राप्त कमिशनिरी रिपोर्ट दिनांक 22/10/2022 के प्राप्त राजस्व क्रमांक/2021/867 दिनांक 22/10/2022 के अनुसार ग्राम बालनाथ खेडा के वर्तमान आराजी नम्बर 14 रकबा 0.22 हैक्टर खातेदार श्री कल्याणसिंह पिता भंवरसिंह राजपुत के नाम दर्ज रेकार्ड है जो मिलान नम्बर क्षैत्रफल अनुसार पुराने आराजी नम्बर 3/3 रकबा 1 बीघा से बनाया गया है। आराजी नम्बर 3/3 रकबा 1 बीघा भूमि उक्त खातेदार के नाम आवंटन से नामाकन संख्या 64 वर्ष 1984 में गैर खातेदार से दर्ज हुई है। नामांकन संख्या 64 पर चस्पा ट्रेस अनुसार एवं पुरानी लटटा शीट पर दर्ज तरमीम अनुसार आराजी नम्बर 3/3 का भूस्थल वर्तमान आराजी नम्बर 41 कुल रकबा 0.47 हैक्टर बिलानाम के हिस्से में से प्रतित होता है। आराजी नम्बर 41 मिलान खसरा अनुसार पुराने आराजी नम्बर 3/1 मीन बनाया गया। परिवादी द्वारा बताया गया कि आराजी नम्बर 14 पर मेरा कोई कब्जा नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया है। वकिल प्रार्थी की बहस सुनी गई। तहसीलदार भदेसर की अनुशंषा के अनुसार मौका कमिशनिरी रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दसतावेज के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में राजस्व रेकार्ड को शुद्धी किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत कमिशनिरी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बालनाथ खेडा पटवार हल्का नन्नाणा की साबिक खाता संख्या 5 में दर्ज आराजी नम्बर 3/3 रकबा 1बीघा नवीन खाता संख्या 8 पर दर्ज आराजी नम्र 14 रकबा 0.22 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। यह कि प्रार्थी के पुराने आरजी नम्बर 3/3 रकबा 1 बीघा के नवीन आराजी नम्बर 14 रकबा 0.22 हैक्टर भूमि के नक्शे में परिर्वतन कर दिया जाने आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड अमल दरामद किया जावें। निर्णय कि प्रति तहसीलदार भदेसर को भिजवाई जावें। निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी भदेसर ★ जिला - चित्तौड़गढ़